डीजी-परिपत्र सं0- 09 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक:लखनऊ: फरवरी 17, 2016

प्रिय महोदय,

मेरे संज्ञान में आया है कि अवैध धन होने की सूचना मिलने पर सम्बन्धित थाने की पुलिस बिना किसी उच्चाधिकारियों व आयकर विभाग को सूचित किये हुए सम्बन्धित संस्थान/दुकान पर पहुंच कर कार्यवाही करती है। यह स्थिति ठीक नहीं है। आपराधिक कृत्य से एकत्रित किया गया धन, जिसके सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 दर्ज हो, उसी प्रकरण में छापेमारी करके बरामदगी का अधिकार पुलिस को है। अन्य मामलों में बिना सर्च वारण्ट के किसी भी प्रतिष्ठान में करेन्सी चेक किया जाना अवैधानिक है। इस प्रकार की कार्यवाही करने से जनता व व्यापारियों द्वारा पुलिस पर अवैधानिक कार्यवाही किये जाने का आरोप लगाया जाता है, जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में अवैध धन सम्बन्धी कोई सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा सर्वप्रथम आयकर विभाग व उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाये एवं उनसे निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जाये। सभी संबंधित इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

17.2

(जावीद अहमद)

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।